पी एम कुसुम योजना: पहले आओ-पहले पाओ

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी एम कुसुम) योजना के अंतर्गत भारत सरकार एवं उत्तराखंड सरकार द्वारा अनुमन्य अनुदान का लाभ उठाते हुए सिंचाई हेतु बिजली से संचालित नलकूप (ट्यूबवेल) पर पहले आओ -पहले पाओ के आधार पर सोलर सिस्टम स्थापित कराने का स्वर्णिम अवसर।

आवेदन की तिथि :

आवेदन हेतु पात्रता एवं अन्य शर्तें :

1. प्रथम चरण में पायलट परियोजना स्वरूप 200 संयोजनों हेतु रुड़की क्षेत्र के विद्युत वितरण खंड (नगरीय) रुड़की के अंतर्गत 11 KV कोटा मुरादनगर एवं 11 KV मनुबास पोषकों (Feeders) तथा काशीपुर क्षेत्र के विद्युत वितरण खंड, काशीपुर के अंतर्गत 11 KV मानपुर PTW एवं 11 KV हरिनगर पोषकों (Feeders) से संयोजित कृषि नलकूपों (ट्यूबवेल) पर "**पहले आओ-पहले पाओ**" के सिद्धान्त पर सोलर सिस्टम स्थापित कराने हेतु कृषकों से आवेदन आमंत्रित किए जायेंगे।
2. केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जायेंगे।
3. आवेदन से पूर्व उपभोक्ता द्वारा उनके संबंधित कृषि नलकूप (ट्यूबवेल) विद्युत संयोजन के सापेक्ष लंबित समस्त धनराशि का भुगतान किया जाना अनिवार्य है।
4. योजना का लाभ उठाने हेतु कृषकों को वैबसाइट **https://mnreliveportal.hkapl.in/Uttrakhand.html** पर जाकर **FARMER REGISTRATION** पर क्लिक कर आवेदन करना होगा।
5. उन्ही आवेदकों के आवेदन स्वीकार किए जायेंगे जो अभिलेखोनुसार उस भूमि के स्वामी है जिस पर आवेदक सोलर सिस्टम स्थापित कराना चाहते है एवं उस भूमि पर स्वामी के नाम से नलकूप (ट्यूबवेल) का वैध विद्युत संयोजन स्थापित है।
6. 4 से 6 एचपी (स्वीकृत भार) क्षमता के कृषि नलकूप (ट्यूबवेल) पर 6 KW तथा 6 एचपी (स्वीकृत भार) से अधिक क्षमता के कृषि नलकूप (ट्यूबवेल) पर 10 KW क्षमता का सोलर सिस्टम स्थापित कराया जा सकता है।
7. आवेदन उपरान्त कृषकों को रु0 2000/- आवेदन शुल्क का भुगतान निर्धारित अवधि (7 दिन) में करना होगा तथा जाँच उपरान्त अंतिम रूप से चयनित कृषकों को इसका समायोजन कुल लागत के सापेक्ष उनके अंश मे दिया जाएगा। परन्तु निर्धारित अवधि (14 दिन) मे कुल लागत के सापेक्ष उपभोक्ता अंश का भुगतान उपभोक्ता द्वारा न करने पर आवेदन स्वत: ही निरस्त हो जाएगा एवं रु0 2000/- आवेदन शुल्क ज़ब्त कर लिया जाएगा।
8. आवेदन शुल्क एवं उपभोक्ता अंश का भुगतान उपभोक्ता द्वारा केवल अपने संबंधित विद्युत वितरण खंड में जाकर ही करना होगा। अन्य माध्यमों से भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा।
9. आवेदन पावती सूचना, शुल्क हेतु निर्धारित समय सीमा इत्यादि सूचना कृषकों को SMS के माध्यम से उनके मोबाइल नंबर (जो आवेदन के समय इंगित किया गया) पर प्रेषित की जाएगी।
10. कृषकों को अवशेष ऊर्जा (जो उपयोग उपरांत बच गई एवं ग्रिड मे प्रवाहित हुई हो) के सापेक्ष भुगतान माननीए उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार किया जाएगा।

आवेदन के समय वांछित अभिलेख : आवेदक को आवेदन के साथ निम्न अभिलेख पोर्टल पर संलग्न (upload) किए जाने अनिवार्य हैं :

1. संबंधित भूमि की खतौनी/खसरा की प्रतिलिपि
2. आवेदक का नवीनतम फोटो
3. संबंधित भूमि पर नलकूप (ट्यूबवेल) के वैध विद्युत संयोजन का विद्युत बिल (6 माह से अधिक पुराना मान्य नहीं होगा)

सोलर सिस्टम स्थापित कराने हेतु कुल लागत का विवरण:

पंप की श्रेणी	पंप की उपश्रेणी	सोलर सिस्टम की क्षमता (KW)	कुल लागत GST सहित (रु0)	केन्द्रीए अनुदान GST सहित (रु0)	राज्य का अनुदान GST सहित (रु0)	उपभोक्ता/क्रषक अंश GST सहित (रु0)
AC	सब्मर्सिबुल/सतही	6	337303/-	147656/-	88593/-	101054/-
AC	सब्मर्सिबुल/सतही	10	562172/-	231464/-	138878/-	191830/-

पी एम कुसुम योजना
(पहले आओ-पहले पाओ)

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी एम कुसुम) योजना के अंतर्गत भारत सरकार एवं उत्तराखंड सरकार द्वारा अनुमन्य अनुदान का लाभ उठाते हुए सिंचाई हेतु बिजली से संचालित नलकूप (ट्यूबवेल) पर पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर सोलर सिस्टम स्थापित कराने का स्वर्णिम अवसर। योजना हेतु आवेदन निर्धारित संख्या तक दिनांक 05.09.2024 से ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त किए जायेंगे। योजना से संबंधित विवरण एवं आवेदन हेतु अन्य जानकारी कार्पोरेशन की वैबसाइट www.upcl.org पर उपलब्ध है।